भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2945
दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए समिति

2945. श्रीमती सुलता देव:

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लागत, अवसंरचना, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, बीमा, वित्तीय सहायता और तीर्थयात्रियों के कल्याण संबंधी विषयों सहित कैलाश मानसरोवर यात्रा के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने पर विचार किया है, ताकि भारतीय नागरिकों के लिए इस तीर्थयात्रा को अधिक किफायती, सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) विदेश मंत्रालय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम की राज्य सरकारों, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) तथा भारत सरकार की अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे (1981 से) और सिक्किम में नाथू ला दर्रे (2015 से) के दो आधिकारिक मार्गों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कर रहा है।

विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए तीर्थयात्रा को सस्ता, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय इस यात्रा के सुचारू संचालन के लिए चीन की जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार और विभिन्न भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। यात्रियों की अधिक ऊंचाई पर रहने की क्षमता संबंधी और फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा परीक्षण किए जाते हैं। चिकित्सा आपात स्थिति में भारतीय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से तीर्थयात्रियों को एयर-लिफ्ट करने की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा के पूरे मार्ग पर सुविधाओं (जैसे परिवहन, ठहरने की जगह, भोजन आदि) को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है।

प्राइवेट टूर ऑपरेटर भी नेपाल के मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करते हैं। भारतीय नागरिकों को नेपाल सहित अन्य देशों के मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होती है। काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास, भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए नेपाली प्राधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखता है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिकों को समय पर सुरक्षित निकालना, आश्रय, चिकित्सा उपचार और अन्य सहायता देना शामिल है।
